


### सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की आवासीय भूखण्ड योजना आर०आर०पी०एस०-०३/२०१९ जिसके आवंटन पत्र दिनांक ३०.१२.२०१९ को जारी किये गये थे, आवंटन पत्र के अनुसार आवंटन धनराशि जमा कराये जाने की अंतिम तिथि दिनांक २८.०२.२०२० नियत थी। जिसकी आवंटन धनराशि १३.५% वार्षिक ब्याज (जिसका आंकलन छमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जायेगा) के साथ जमा करने की तिथि ३१.०३.२०२० तक बढ़ायी गयी थी।

भारत सरकार द्वारा दिनांक २२.०३.२०२० से आगामी १७ मई, २०२० तक पूरे देश में कोविड-१९ महामारी के नियंत्रण एवं बचाव हेतु देशव्यापी लॉक डाउन लागू किये जाने के कारण उक्त योजना के समस्त आवंटियों को सूचित किया जाता है कि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त आवंटन धनराशि १३.५% वार्षिक ब्याज (जिसका आंकलन छमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जायेगा) के साथ जमा करने की तिथि का समय विस्तरण दिनांक ३०.०३.२०२० तक प्रदान किया गया है। तदनुसार आवंटन धनराशि जमा कराये। अन्यथा की स्थिति में योजना के ब्रोशर के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

  
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण